भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2162
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का गैर-कार्यशील होना

†2162. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या न्यू टाउन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में स्वीकृत 460 बिस्तरों में से 108 बिस्तर, जो लगभग 23 प्रतिशत हैं, गैर-कार्यशील हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें कार्यशील करने के लिए यदि कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रेडिएशन ओंकोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ओटी एनेस्थीसियोलॉजी, सीसीयू पोस्ट-ऑपरेटिव, इमरजेंसी और ईसीजी तकनीशियन सहित सात आधिकारिक श्रेणियों के तहत सभी 23 स्वीकृत तकनीशियन पद खाली हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या ऑपरेशन थिएटर, लीनियर एक्सीलेटर, हॉट लैब और आईटीयू/एचडीयू बिना किसी एक भी स्वीकृत तकनीशियन के संचालित किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ङ) क्या 150 स्टाफ नर्स के पदों में से 50 पद खाली पड़े हैं, नर्सिंग अधीक्षक का पद रिक्त है, दोनों फार्मासिस्ट पद खाली हैं और एमआरआई, पीईटी-सीटी और एलआईएनएसी उपकरणों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एकमात्र बायोमेडिकल इंजीनियर का पद नहीं भरा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार कुल 288 पदों में से खाली पड़ी इन लगभग 102 रिक्तियों को भरने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, परिचालन एवं प्रबंधन, की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है जिसमें पर्याप्त अवसंरचना उपकरण तथा स्वास्थ्य परिचर्या व्यासायियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी

कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। इन प्रस्तावों को एनएचएम के मानदंडों तथा संसाधनों की उपलब्धता के अधीन भारत सरकार द्वारा कार्यवाही रिकॉर्ड के रूप में अनुमोदित किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अनुमोदन निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75

जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना एवं सेवाओं में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय जन स्वास्थ्य मानक निर्धारित किए गए हैं। ये मानक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों, जैसे कि अवसंरचना, मानव संसाधन, औषधियां, नैदानिक सेवाएं, उपकरण, गुणवत्ता तथा सुशासन संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना की योजना तैयार करने तथा उसके उन्नयन के लिए इन्हें संदर्भ मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। आईपीएचएस के अंतर्गत सभी स्तरों के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों द्वारा स्व-मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मंत्रालय ने एक ओपन-सोर्स टूलकिट तथा वेब-आधारित डैशबोर्ड (www.iphs.mohfw.gov.in) विकसित किया है, जिसका शुभारंभ 28 जून, 2024 को किया गया। आईपीएचएस डैशबोर्ड को आईपीएचएस-2022 मानकों के अनुरूप जन स्वास्थ्य केंद्रों के अनुपालन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यह वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण और डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण सुनिश्चित होता है और कमियों की पहचान करने तथा उनके निराकरण हेतु समयबद्ध कार्रवाई को सुगम बनाता है।
